पत्रांकः 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–01 / 2025 / 32(स्वी०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक 18 / 7 / 2025

विषय : **वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्व० अशोक सहनी, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, ग्राम कचहरी–बेलायाकुब, प्रखण्ड–मनीगाछी, जिला–दरभंगा एवं स्व० निर्मल कुमार सिन्हा, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, ग्राम कचहरी–धनतोला, प्रखण्ड–दिघलबैंक, जिला–किशनगंज की सेवाकाल में मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को ₹4.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹8,00,000.00 (आठ लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश : **स्वीकृत।**

2. जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 1374 / जि०प० दिनांक 21.05.2025 एवं अपर समाहर्त्ता–सह–जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज का पत्रांक 911 दिनांक–10.06.2025 के आलोक में मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को ₹4.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹8,00,000.00 (आठ लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की गयी।

3. उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश संख्या 216–सह–पठित ज्ञापांक–7243 दिनांक 11.11.2019 द्वारा ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा के रूप में मृतक के आश्रित को एकमुश्त का प्रावधान है।

4. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित कर्मियों के आश्रित / आश्रिता को ₹4.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹8,00,000.00 (आठ लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि निम्नरूपेण स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र.	मृत व्यक्ति का नाम एवं पता	पदनाम	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
i	स्व० अशोक सहनी, ग्राम कचहरी–बेलायाकुब, प्रखण्ड–मनीगाछी, जिला–दरभंगा	ग्राम कचहरी न्यायमित्र	₹4,00,000.00	जिला पदाधिकारी, दरभंगा का आदेश फलक दिनांक 21.05.2025

ii	स्व० निर्मल कुमार सिन्हा, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, ग्राम कचहरी–धनतोला, प्रखण्ड–दिघलबैंक, जिला–किशनगंज	ग्राम कचहरी न्यायमित्र	₹4,00,000.00	जिला पदाधिकारी, किशनगंज का आदेश फलक सं०–01 / 2023–24
कुल			₹8,00,000.00 (आठ लाख रूपये) मात्र	

5. इस स्वीकृत राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय " मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु–शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष– 0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु के विषय शीर्ष–0010.37.01–अनुग्रह अनुदान" से होगा। जिसकी मांग सं0–16 एवं विपत्र कोड–16–2515001980010 है।

6. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं किशनगंज होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी करते हुए CFMS के माध्यम से मृतक के आश्रितों के संबंधित बैंक खाते में अंतरित करेंगे।

7. वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस स्वीकृत राशि की निकासी जिला कोषागार, दरभंगा एवं किशनगंज बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

8. इस स्वीकृत राशि का निर्धारित समय में अंकेक्षण कराने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. राशि की स्वीकृति यह मानकर दी जा रही है कि जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं किशनगंज के द्वारा संबंधित कर्मियों की मृत्यु एवं उनके सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच अपने स्तर से करा ली गयी है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–01 / 2025 में पृष्ठ–.....20...... / टि0 पर दिनांक– 11.07.25 को प्राप्त है।

12. स्वीकृत्योदश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का आदेश संचिका संख्या–: 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–01 / 2025 में पृष्ठ संख्या–....21.. ../ टि0 पर दिनांक–..17.07.25...... को प्राप्त है।

13. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार के द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन

18/7/25

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांकः 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–01 / 2025 / 32(ख0) / पं०रा० पटना, दिनांक 18.7.25
प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं किशनगंज / कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा एवं किशनगंज / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–01 / 2025 / 32(ख0) / पं०रा०पटना, दिनांक 18/7/25
प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०–01 / 2025 / 32(ख0) / पं०रा०पटना, दिनांक 18/7/25
प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी–5(बजट) / आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः 6प० / नि०प्र० / अनु०अनु०--01 / 2025 / 32(ख0) / पं०रा०पटना, दिनांक 18/7/25
प्रतिलिपिः– आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव